



तार-जलनिगम

दूरभाष 2620172, 2620272
फैक्स 91 0522 2620173

उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक: 358 / 2042 - तकनीकी अधिकारी/20 दिनांक 11-05-2020

विज्ञप्ति

जल निगम में अनुबन्ध के आधार 05 तकनीकी अधिकारियों (सिविल संवर्ग के 04 एवं वि०/याँ० संवर्ग के 01) के चयन हेतु वाक-इन-इण्टरव्यू।

ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम अंतर्गत प्रस्तुत योजनाओं के अनुमोदन से पूर्व उनके तकनीकी परीक्षण हेतु मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति में सहयोग प्रदान करने एवं फील्ड से प्राप्त होने वाले प्राक्कलनों के परीक्षण हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम से सेवानिवृत्त डिग्री धारक 05 अभियंताओं (04 सिविल तथा 01 वि०/याँ०) (न्यूनतम अधिशासी अभियंता स्तर) को एक वर्ष हेतु अनुबन्ध के आधार पर तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु वाक-इन-इण्टरव्यू लिया जायेगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों का वाक-इन-इण्टरव्यू दिनांक 20.05.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से उत्तर प्रदेश जल निगम के सभागार, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में आयोजित किया जायेगा। आवेदन हेतु निर्धारित प्रारूप उ०प्र० जल निगम की वेबसाइट <http://jn.upsdc.gov.in> से डाउनलोड किये जा सकते हैं। इस पद हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त अभियंता निर्धारित प्रारूप पर आवेदन के साथ अपना बायोडाटा एवं सुसंगत अभिलेखों को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 16.05.2020 को अपरान्ह 17:00 बजे तक हार्ड कापी अथवा ई-मेल (cer_jn@yahoo.com) के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त तिथि एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

तकनीकी अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता हेतु प्रतिबन्ध एवं शर्तः-

- रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारियों में से ऐसे उत्कृष्ट/स्वस्थ अधिकारियों को तैनात किये जाने पर विचार किया जायेगा जो सेवाकाल में किसी वित्तीय/अनुशासनिक अनियमितता में दोषी न रहे हों, सेवानिवृत्त की तिथि के पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 05 वर्षों की इनकी सेवाएं अतिउत्तम श्रेणी से न्यून न हों, उनकी आयु 65 से अधिक न हों।
- संविदा/मानदेय के आधार पर नियुक्ति किये जाने वाले अधिकारियों के लिए संविदा धनराशि/मानदेय का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।


क्र०सं०	सेवानिवृत्त के समय पद	संविदा/मानदेय की धनराशि
1.	अधिशासी अभियन्ता	रु० 45000/- प्रतिमाह
2.	अधीक्षण अभियन्ता	रु० 60000/- प्रतिमाह
3.	मुख्य अभियन्ता	रु० 70000/- प्रतिमाह

- उक्त तैनात किये जाने वाले अधिकारियों को उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित संविदा धनराशि/मानदेय के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- संविदा/मानदेय पर तैनात अधिकारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का विशेष अवकाश देय होगा। इन अधिकारियों को अन्य कोई अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश आदि देय नहीं होगा।
- उक्त अधिकारियों द्वारा जल निगम के कार्यों से की गयी यात्राओं के सम्बन्ध में वही नियम लागू होंगे जो जल निगम के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए प्रभावी हैं तथा उसकी प्रतिपूर्ति सेवानिवृत्त के समय धारित पद की समकक्षता के अनुरूप की जायेगी।
- योजित तकनीकी अधिकारियों को प्रथमतः एक वर्ष हेतु (यदि इससे पूर्व में समाप्त न कर दिया जायें) तैनात किया जायेगा। उक्तानुसार योजित तकनीकी अधिकारियों क्षमता, कार्य कुशलता एवं कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत उपयुक्तता के आधार पर सक्षम स्तर के अनुमोदन से आगे बढ़ाया जा सकेगा।

(जी०पी० शुक्ला)
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)

प्रतिलिपि :

1. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वित्त निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उक्त वाक-इन-इन्टव्यू हेतु गठित चयन समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं इन अनुरोध के साथ प्रेषित कि तकनीकी अधिकारियों के चयन हेतु इन्टव्यू लेने हेतु दिनांक 20.05.2020 को अपराह्न 03:00 बजे उत्तर प्रदेश जल निगम के सभागार, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में उपस्थित होने का कष्ट करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. अधिशासी अभियन्ता, ई.डी.पी. सेल, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जल निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।


115-21
मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण)